



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275127
CG-DL-E-03082026-275127

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4133]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 4133]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4309(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन् पश्चात् उक्त अधिनियम से संदर्भित) की धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36]] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी' (पैन AAAGD1414N), जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के तहत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण है, को उक्त प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, यथा: -

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

- (ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;
- (ग) न्यायालय के आदेश के तहत प्राप्त राशि;
- (घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा
- (ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी' (पैन AAAGD1414N)-

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगी;
- (ख) उक्त अधिनियम की धारा 263 की उप-धारा (9) के खंड (ग) (xiii) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी; तथा
- (ग) की गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे कर वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी।

3. पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में धारा 11 के साथ पठित अनुसूची III [तालिका: क्रम संख्या 36] के तहत दी जाने वाली छूट वापस ले ली जाएगी और उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही भी शुरू की जाएगी।

4. यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 105/2026/फा. सं. 300196/1/2026-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2026

S.O. 4309(E).— In exercise of the powers conferred by Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘District Legal Services Authority, Charkhi Dadri’ (PAN AAAGD1414N), an Authority constituted by the State Government of Haryana under the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), in respect of the following specified income arising to the said authority namely :-

- (a) grants received from the Punjab and the Haryana High Court, the Central Authority i.e. the National Legal Services Authority and State Authority i.e., Haryana State Legal Services Authority for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987(39 of 1987);
- (b) grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987(39 of 1987);
- (c) amount received under the order of the Court;
- (d) fees received as recruitment application fee; and
- (e) interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that ‘District Legal Service Authority, Charkhi Dadri’ (PAN AAAGD1414N):-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) shall file return of income in accordance with the provision of clause (c)(xiii) of sub-section (9) of section 263 of the said Act; and.
- (c) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the tax years.

3. Failure to comply with the conditions specified in paragraph 2 shall result in withdrawal of exemption under Schedule III [Table: Sl. No. 36] read with section 11 and initiation of proceedings under the said Act.

4. This notification shall be applicable for the tax year 2026-27.

[Notification No. 105/2026/F. No. 300196/1/2026-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.